‘अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और पीएम केयर्स चिल्ड्रन स्कीम के लाभार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना’ के लिए दिशानिर्देश 2024-25 से लागू

1. पृष्ठभूमि

क. स्वतंत्रता के बाद से ही कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता रही है। उनकी सहायता के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं, ताकि उनके कौशल और क्षमताओं को बढ़ा कर तीव्र आर्थिक विकास और उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

ख. छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने की योजना शुरू की गई थी। इसी तरह की योजनाएं अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए भी क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करने तथा छात्रों को बेहतर तरीके से सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए अलग-अलग कोचिंग योजनाओं को एकीकृत कर दिया गया और अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यकों सहित 'कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग और संबद्ध सहायता' नामक एक संयुक्त योजना सितंबर, 2001 से शुरू की गई थी।

ग. अल्पसंख्यकों से संबंधित मामलों को संभालने के लिए एक अलग मंत्रालय अर्थात अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के निर्माण के बाद, अप्रैल 2007 में इस योजना में और संशोधन किया गया ताकि अल्पसंख्यक घटक को योजना के दायरे से हटाया जा सके और उस समय आवश्यक समझे जाने वाले अन्य परिवर्तनों को समायोजित किया जा सके। योजना का अंतिम संशोधन 2023-24 में प्रभावी हुआ।

2. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और पीएम केयर्स चिल्ड्रन स्कीम (2024-25 से शामिल) के लाभार्थियों को अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करना है, ताकि वे सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में उपयुक्त नौकरियां प्राप्त करने और/या प्रतिष्ठित तकनीकी और व्यावसायिक उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सकें।

3. कोचिंग के लिए पाठ्यक्रम

जिन पाठ्यक्रमों के लिए कोचिंग दी जाएगी वे इस प्रकार होंगे:

क. संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्डों (आरआरबी) द्वारा आयोजित समूह क और ख परीक्षाएं;

ख. राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित समूह क और ख परीक्षाएं;

ग. बैंकों, बीमा कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा आयोजित अधिकारी ग्रेड की परीक्षाएं;

घ. (i) इंजीनियरिंग (जैसे आईआईटी-जेईई), (ii) मेडिकल (जैसे एनईईटी), (iii) प्रबंधन (जैसे कैट) और कानून (जैसे सीएलएटी) जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रीमियर प्रवेश परीक्षाएं, और (iv) कोई अन्य ऐसे विषय जो मंत्रालय समय-समय पर तय कर सकता है।

ड़. पात्रता परीक्षण/परीक्षाएं जैसे एसएटी, जीआरई, जीमैट, आईईएलटीएस और टीओईएफएल।

च. सीपीएल पाठ्यक्रमों/राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और संयुक्त रक्षा सेवाओं के लिए प्रवेश परीक्षाएं।

4. अभ्यर्थियों का श्रेणीवार अनुपात

इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 3500 छात्रों का चयन किया जाएगा। इन स्लॉट का विस्तृत विभाजन योजना दिशा-निर्देशों के पैरा 7(ड़) में दिया गया है।

5. अभ्यर्थियों के लिए पात्रता मानदंड

क. अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग वर्ग के छात्रों के लिए:

क. अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र, जिनके परिवार की सभी स्रोतों से कुल आय 8.00 लाख रुपये या उससे कम है, इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र होंगे।

ख. अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय या राज्य सरकारों की समान योजना(ओं) के तहत, जैसा भी मामला हो, आवेदन कर सकते हैं।

ग. आय प्रमाण पत्र: स्व-नियोजित माता-पिता/अभिभावक की आय घोषणा, तहसीलदार के पद के समतुल्य राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के रूप में होनी चाहिए। कार्यरत माता-पिता/अभिभावकों को अपने नियोक्ता से आय प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और आय के किसी अन्य अतिरिक्त स्रोत सहित राजस्व अधिकारी से समेकित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ख. पीएम केयर्स चिल्ड्रन स्कीम के लाभार्थियों के लिए:

पीएम केयर्स चिल्ड्रन स्कीम के सभी लाभार्थी जिनके पास केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र (लाभार्थी आईडी के साथ) है, जो लाभार्थी के रूप में उनकी स्थिति की पुष्टि करता है, वे पात्र हैं। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे लाभार्थियों के लिए कोई आय या जाति संबंधी प्रतिबंध नहीं होगा।

6. अन्य अनिवार्य शर्तें:

क. छात्र के पास वैध आधार संख्या तथा उससे जुड़ा बैंक खाता होना चाहिए। आवेदन के समय यदि छात्र के पास आधार संख्या नहीं है तो वह अपना ईआईडी नंबर प्रस्तुत कर सकता है। हालांकि, भुगतान केवल आधार संख्या प्राप्त करने के बाद ही जारी किया जाएगा तथा छात्र के आधार से जुड़े बैंक खाते में ही वितरित किया जाएगा।

ख. जिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अर्हता कक्षा 12 है, योजना के तहत लाभ केवल तभी उम्मीदवार को उपलब्ध होगा, यदि उम्मीदवार ने योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की तिथि तक कक्षा 12 पास कर लिया हो या कक्षा 12 में अध्ययनरत हो। छात्र को आवेदन पत्र में कक्षा 10 में प्राप्त अंकों की घोषणा

करनी होगी। कक्षा 10 की परीक्षा में 50% से कम अंक पाने वाले छात्रों पर योजना के तहत विचार नहीं किया जाएगा।

ग. इसके अलावा, उन प्रतियोगी परीक्षाओं के मामले में जिनके लिए अर्हता परीक्षा स्नातक स्तर की है, केवल वे छात्र/उम्मीदवार ही पात्र होंगे जिन्होंने स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है या योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के समय संबंधित स्नातक पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में अध्ययन कर रहे हों। छात्र को आवेदन पत्र में कक्षा XII में प्राप्त अंकों की घोषणा करनी होगी। कक्षा XII की परीक्षा में 50% से कम अंक पाने वाले छात्रों को योजना के तहत नहीं माना जाएगा।

घ. किसी विशेष प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने के लिए उसे जितने भी अवसर मिले हों और परीक्षा में कितने भी चरण हों, इस योजना के तहत लाभ किसी विशेष छात्र द्वारा अधिकतम दो बार ही लिया जा सकता है। छात्र को यह घोषणा-पत्र देना होगा कि उसने योजना या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य इसी प्रकार की कोचिंग योजना के तहत दो बार से अधिक का लाभ नहीं लिया है।

ड़. उम्मीदवार को केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य कोचिंग योजना के तहत लाभ लेने से मना किया जाएगा और उसे इस आशय का घोषणा-पत्र देना होगा। योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की सूची डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन द्वारा मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी और उम्मीदवार द्वारा समान कोचिंग योजना का एक साथ या दो बार से अधिक लाभ लेने की संभावना से बचने के लिए, इसे योजना में सूचीबद्ध सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ साझा किया जाएगा।

7. योजना का कार्यान्वयन:

क. **<u>कार्यान्वयन एजेंसी</u>**: इस योजना का कार्यान्वयन डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन (डीएएफ) द्वारा योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध केंद्रीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से किया जाएगा।

ख. **<u>केंद्रीय विश्वविद्यालयों का पैनलीकरण</u>**: सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय जो निर्दिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए कोचिंग करने के इच्छुक और सक्षम हैं, वे उपयुक्त प्रारूप में डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन को ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन ऐसे सभी आवेदनों की जांच करेगा और मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के आधार पर चयन समिति के विचारार्थ पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करेगा। हालांकि, डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन की **डॉ. अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (डीएसीई) योजना के तहत** पहले से ही सूचीबद्ध केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो 2022-23 में कक्षाएं चला रहे हैं, उन्हें इस तरीके से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। उनके एमओयू को संशोधित योजना के अनुसार उपयुक्त प्रावधानों को शामिल करके डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा नवीनीकृत किया जा सकता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित कोचिंग केंद्रों को डॉ. अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (डीएसीई) कहा जाएगा।

ग. **<u>चयन समिति:</u>** नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों को सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव पर, जो पहले **डॉ. अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र (डीएसीई)** का हिस्सा नहीं थे, एक चयन समिति द्वारा विचार किया जाएगा जो वास्तविक और शैक्षणिक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और योजना के कार्यान्वयन पर असर डालने वाली अन्य आवश्यकताओं के आधार पर चयन के लिए इन विश्वविद्यालयों की सिफारिश करेगी। कोचिंग प्रदान करने के इच्छुक केंद्रीय विश्वविद्यालयों का चयन अंतिम रूप से चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। चयन समिति की संरचना इस प्रकार होगी:

i. संयुक्त सचिव, एससीडी-बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय - अध्यक्ष
ii. वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय - सदस्य
iii. संयुक्त सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग - सदस्य
iv. निदेशक, डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन - सदस्य
v. निदेशक/उपसचिव (एससीडी-1), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय - संयोजक

घ. **<u>समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर:</u>** पैनल में शामिल किए जाने के लिए अनुमोदित केंद्रीय विश्वविद्यालय और वे केंद्रीय विश्वविद्यालय जो पहले डीएसीई का हिस्सा रहे हैं, डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसमें अन्य बातों के अलावा आवंटित स्लॉट, प्रति पाठ्यक्रम स्लॉट के साथ पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रम, प्रति छात्र ली जाने वाली फीस, पाठ्यक्रम की अवधि, पाठ्यक्रम के प्रारंभ और समापन की तिथि आदि का उल्लेख होगा।

ड़. <u>केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अनुसार सीटें:</u> प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय को आवंटित सीटें निम्नानुसार होंगी:

क. ऐसे छात्रों की कुल संख्या 100 से अधिक नहीं होगी (पीएम केयर्स योजना के लाभार्थियों को छोड़कर) और अनुसूचित जाति:अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों का अनुपात 70:30 होगा। अनुसूचित जाति छात्रों का प्रतिशत 70% से कम नहीं होगा। अनुसूचित जाति श्रेणी में पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में, डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन इस अनुपात में छूट दे सकता है। हालांकि, किसी भी स्थिति में 50% से कम अनुसूचित जाति के छात्रों को अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही प्रत्येक श्रेणी के तहत, 30% स्लॉट महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगे। यदि किसी श्रेणी के तहत पर्याप्त संख्या में महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा उसी श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा।

ख. पीएम केयर्स चिल्ड्रन स्कीम के सभी इच्छुक/पात्र लाभार्थियों को केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश दिया जाएगा, भले ही आवंटित 100 स्लॉट पार न हों।

व्यवहार्यता के उद्देश्य से, एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 50 से कम नहीं होगी।

च. **<u>प्रति केंद्रीय विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम:</u>** इन दिशा-निर्देशों के पैरा 3 में बताए गए 4 से अधिक पाठ्यक्रम एक केंद्रीय विश्वविद्यालय को नहीं दिए जा सकते। प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए कम से कम 25 छात्रों को अनुमति दी जाएगी।

छ. <u>छात्रों के चयन का तरीका</u>: केंद्रीय विश्वविद्यालय इच्छुक और पात्र छात्रों को कोचिंग के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित करते हुए उपयुक्त विज्ञापन जारी करेगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से कोई भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी तरह से पूर्ण ऑनलाइन आवेदन ही सहायता के लिए विचार किए जाएंगे। सभी अधूरे आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। हालांकि**,** खारिज किए गए उम्मीदवारों के पास चयन के बाद के वर्षों में आवेदन करने का विकल्प होगा। पीएम केयर्स चिल्ड्रन स्कीम के लाभार्थियों को चयन प्रक्रिया से छूट दी जाएगी और ऐसे सभी पात्र उम्मीदवार जो आवेदन करेंगे उन्हें संबंधित केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा कोचिंग के लिए प्रवेश दिया जाएगा।

ज. <u>अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए योग्यता सूची तैयार करना</u>: पैनल में शामिल केंद्रीय विश्वविद्यालय अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों को

आवंटित पाठ्यक्रम में कोचिंग देने के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे, जो योजना के पैरा **5** में दर्शाई गई पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं और पात्र उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करने के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में भी आते हैं। ऐसी प्रक्रिया के बारे में डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को पहले से सूचित किया जाएगा। हालांकि, पीएम केयर्स चिल्ड्रन योजना के लाभार्थियों के लिए कोई योग्यता सूची नहीं होगी।

झ. **<u>पाठ्यक्रम की अवधि</u>** : पाठ्यक्रम की अवधि इन दिशानिर्देशों के **अनुबंध-क** के अनुसार होगी।

ञ. **<u>छात्रों की उपस्थिति</u>:** केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्रों की आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति की रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करेंगे और इसे मासिक आधार पर डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन के साथ साझा करेंगे, जिसमें महीने में चार दिन से अधिक अनुपस्थित रहने वाले छात्रों का विशेष उल्लेख होगा। यदि कोई छात्र चिकित्सा या घरेलू आपातकाल जैसे स्वीकार्य कारण के बिना अनुपस्थित रहता है, तो छात्रवृत्ति के लिए उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

ट. **<u>स्वीकार्य भुगतान:</u>** (i) इन दिशानिर्देशों के अनुबंध-क में दिए गए विस्तृत पाठ्यक्रम शुल्क (ii) 12 महीने से अधिक नहीं के पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए 4000 रुपये प्रति माह की दर से वजीफा (iii) समूह 1 और समूह 2 के पदों के लिए केंद्रीय सिविल सेवा / राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य चरण को पास करने वाले सभी छात्रों के लिए साक्षात्कार की कोचिंग के लिए सफल छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में 15,000 रुपये।

ठ. **<u>भुगतान का तरीका</u>:** सभी स्वीकार्य भुगतान छात्रों को उनके आधारयुक्त बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से जारी किए जाएंगे। फीस और वजीफा स्वीकार्य राशि के 50% की दो किस्तों में जारी किया जाएगा। पहली किस्त पाठ्यक्रम शुरू होने पर तुरंत जारी की जाएगी और दूसरी किस्त पाठ्यक्रम अवधि के 75% से अधिक के समापन के बाद जारी की जाएगी। छात्रों को विश्वविद्यालय शुल्क का हिस्सा तुरंत और किसी भी स्थिति में 15 दिनों से अधिक नहीं, उन केंद्रीय विश्वविद्यालयों को जमा करना होगा जहाँ वे कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं।

ड. **<u>कोचिंग की शुरुआत</u>:** केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने और डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में बताई गई तिथि से निर्दिष्ट पाठ्यक्रम के लिए कोचिंग शुरू करेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय पात्र छात्रों को कोचिंग में शामिल होने की अनुमति देंगे, भले ही उन्हें डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन से पहली किस्त मिली हो या नहीं।

ढ़ **<u>केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा अन्य छात्रों का नामांकन:</u>** पैनल में शामिल केंद्रीय विश्वविद्यालय पर्याप्त बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के अधीन आवंटित स्लॉट से परे कोचिंग के लिए छात्रों को नामांकित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ये छात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य या किसी अन्य श्रेणी से हो सकते हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित शुल्क ले सकते हैं और इसके लिए इन केंद्रीय विश्वविद्यालयों को मंत्रालय से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, वे रिकॉर्ड के उद्देश्य से ऐसे छात्रों के नामांकन के बारे में डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन को सूचित कर सकते हैं। डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन इन केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा नामांकित इन अतिरिक्त छात्रों, यदि कोई हो, के लिए कोई धनराशि जारी नहीं करेगा।

ण. **<u>एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय से दूसरे केन्द्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों का स्थानांतरण:</u>** यदि किसी विशेष पैनलबद्ध केन्द्रीय विश्वविद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या प्रारंभिक परीक्षा के

स्तर पर 50 से कम है या मुख्य परीक्षा के स्तर पर वहन करने योग्य नहीं है, तो ऐसे विश्वविद्यालय के छात्रों को दोनों विश्वविद्यालयों तथा संबंधित छात्र की सहमति से तथा डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन के अनुमोदन से अन्य विश्वविद्यालयों में स्थानांतरित किया जा सकता है।

त. **<u>निधि जारी करने के लिए प्रस्ताव अग्रेषित करना</u>:** उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग करने के बाद, केंद्रीय विश्वविद्यालय सभी शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची उनकी शैक्षिक, जाति, आय, योग्यता और बैंक संबंधी साख के विवरण के साथ डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन के माध्यम से इस मंत्रालय को भेजेगा। इसी तरह, जब पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि का 75% पूरा हो जाता है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय ऐसे सभी छात्रों का विवरण डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन को भेजेंगे जो नियमित रूप से कक्षाओं में भाग लेते रहे हैं, मासिक उपस्थिति पत्रक के विवरण के साथ और शेष राशि की दूसरी किस्त जारी करने का प्रस्ताव भेजेंगे। डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन के सीएनए बैंक खाते में निधि जारी करने के लिए मंत्रालय में इन प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन पात्र छात्रों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि जारी करेगा। दूसरे और तीसरे वर्ष की दूसरी किस्त जारी किया जाना इन दिशानिर्देशों के पैरा 6(द) और अनुबंध-ख में निर्धारित अनुसार पिछले वर्ष में संबंधित केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदर्शन मानदंडों को सफलतापूर्वक पूरा करने पर निर्भर करेगी।

थ. **<u>छात्रों की पात्रता के बारे में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी</u>:** पहली और दूसरी किस्त के लिए धनराशि जारी करने के प्रस्ताव को अग्रेषित करते समय, केंद्रीय विश्वविद्यालय उनके द्वारा प्रशिक्षित छात्रों की शैक्षिक, जाति, आय, पीएम केयर्स लाभार्थियों के प्रमाण पत्र आदि से संबंधित साख की जांच ऐसे दस्तावेजों की मूल प्रतियों से करेंगे और प्रमाणित करेंगे कि वे संतुष्ट हैं कि ये छात्र वास्तविक और पात्र हैं। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि ऐसे कोई या सभी छात्र शिक्षा, जाति, वार्षिक पारिवारिक आय आदि के कारण पात्र नहीं थे, तो ऐसे छात्र को प्रशिक्षित करने वाला केंद्रीय विश्वविद्यालय पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। ऐसे छात्रों के संबंध में कोई शुल्क/वजीफा जारी नहीं किया जाएगा और इसके अलावा यदि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी अयोग्यता के बारे में पता चलने से पहले ऐसे छात्रों को पहले कोई भुगतान जारी किया गया है, तो राशि मंत्रालय द्वारा तय किए गए दंड के साथ संबंधित विश्वविद्यालय से वसूल की जाएगी।

द. **<u>प्रदर्शन मूल्यांकन</u>:** दूसरे वर्ष में दूसरी किस्त जारी करने की मांग करते समय, केंद्रीय विश्वविद्यालय को पिछले वर्ष के दौरान इसके द्वारा प्रशिक्षित छात्रों के प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी, जिसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा कि क्या विश्वविद्यालय ने इन दिशानिर्देशों के अनुबंध-ख में निर्धारित प्रदर्शन मानदंडों को पूरा किया है।

ध. **<u>समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण</u>:** हस्ताक्षरित एमओयू हस्ताक्षर की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा। प्रदर्शन मानदंड की पूर्ति, केंद्रीय विश्वविद्यालय की इच्छा और अन्य वास्तविक कारकों के अधीन पैनल को तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

8. ऑनलाइन शिक्षण प्रबंधन प्रणाली की स्थापना:

डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों के बीच ज्ञान की साझेदारी करने तथा समन्वय के उद्देश्य से एक ऑनलाइन शिक्षण प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना सुनिश्चित करेगा। इस प्रबंधन प्रणाली का उपयोग केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा नियोजित संकाय, नामांकित छात्रों, उपस्थिति, कक्षाओं, मॉक टेस्ट,

अध्ययन सामग्री, प्रस्तावों को अपलोड करने आदि के सत्यापन के लिए भी किया जाएगा। इसके अलावा, इस प्रबंधन प्रणाली का उपयोग लॉगिन और पासवर्ड की व्यवस्था के माध्यम से अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नामांकित योजना के अन्य लाभार्थियों द्वारा उपयोग के लिए संकाय सदस्यों के ऑफ़लाइन और ऑनलाइन रिकॉर्ड किए गए व्याख्यान अपलोड करने के लिए किया जाएगा। इस प्रणाली को स्थापित करने का व्यय योजना में उपलब्ध 2% प्रशासनिक परिवर्तनों से वहन किया जा सकता है।

9. योजना का प्रदर्शन, निगरानी और समन्वय:

मंत्रालय डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन के साथ मिलकर इस योजना के कार्यान्वयन पर नियमित निगरानी रखेगा और केंद्रीय विश्वविद्यालयों से समय-समय पर रिपोर्टें प्राप्त करेगा। मंत्रालय द्वारा डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन के साथ मिलकर एल्गोरिदम के माध्यम से यादृच्छिक रूप से चुने गए छात्रों/केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से कम से कम 25% का हर साल वास्तविक सत्यापन किया जाएगा। डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन योजना की निगरानी और समन्वय के उद्देश्य से एक ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करेगा।

10. प्रशासनिक व्यय:

योजना के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि का 2% प्रशासनिक व्यय के रूप में आवंटित किया जाएगा और इसका उपयोग शिक्षण प्रबंधन प्रणाली के सृजन, प्रचार और जागरूकता सृजन या योजना को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए आवश्यक किसी अन्य गतिविधि के लिए किया जाएगा।

11. झूठी जानकारी प्रस्तुत करना

यदि किसी विश्वविद्यालय/अभ्यर्थी के बारे में यह रिपोर्ट मिलती है कि उसने योजना के अंतर्गत धनराशि जारी करने के संबंध में कोई गलत सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत किया है, जो गलत पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध प्रशासनिक और/या आपराधिक कार्यवाही की जाएगी तथा जारी की गई धनराशि पर 15% चक्रवृद्धि ब्याज सहित वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

******

अनुबंध-क

अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना के अंतर्गत अधिकतम शुल्क और न्यूनतम अवधि

क्र.सं.	अवधि	अधिकतमकुल पाठ्यक्रम शुल्क रुपए में	पाठ्यक्रम की न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि महीनों में
1.	यूपीएससी /एसपीएससी द्वारा सिविल सेवा परीक्षा	75,000/- रू.	12 माह
2.	एसएससी/आरआरबी	40,000/- रू.	6 माह - 9 माह
3.	बैंकिंग/बीमा/पीएसयू/सीएलएटी	50,000/- रू.	6 माह - 9 माह
4.	जेईई/नीट	75,000/- रू.	9 माह - 12 माह
5.	आईईएस	75,000/- रू.	9 माह - 12 माह
6.	सीएटी /सीएमएटी	50,000/- रू.	6 माह - 9 माह
7.	जीआरई/जीएमएटी/एसएटी/आईईएलटीएस/टीओएफईएल	35,000/- रू.	3 माह - 6 माह
8.	सीए-सीपीटी/जीएटीई	75,000/- रू.	9 माह - 12 माह
9.	सीपीएल पाठ्यक्रम	30,000/- रू.	6 माह - 9 माह
10.	एनडीए/सीडीएस	20,000/- रू.	3 माह - 4 माह

*उपरोक्त सभी पाठ्यक्रमों के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 घंटे की वास्तविक कोचिंग अनिवार्य होगी। इसके अलावा, वजीफा कोचिंग के वास्तविक महीनों या अधिकतम निर्धारित अवधि के लिए दिया जाएगा, भले ही संबंधित केंद्रीय विश्वविद्यालय ने निर्धारित अधिकतम अवधि से अधिक अवधि जो भी कम हो, के लिए कोचिंग दी हो।

अनुबंध-ख

निःशुल्क कोचिंग योजना के अंतर्गत निधि जारी करने और पैनल के नवीनीकरण के लिए पैनलबद्ध विश्वविद्यालय के निष्पादन की समीक्षा के लिए मानदंड

क्र.स.	**प्रतियोगी परीक्षा**	**सफलता के मापदंड**	**निधियों की दूसरी किस्त जारी करने और पैनल में शामिल करने के लिए नवीनीकरण हेतु मानदंड** बैच आकार के प्रतिशत के अनुसार सफलता दर
1.	केंद्रीय सिविल सेवा और राज्य सिविल सेवा	किसी भी केंद्रीय या राज्य सिविल सेवा में प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा/अंतिम चयन में सफलता	4%
2.	एसएससी/आरआरबी/बैंकिंग/ आईएस/बीमा/पीएसयू	सफलता का आकलन करने के लिए अंतिम चयन या साक्षात्कार के लिए बुलावा भी माना जाएगा	16%
3.	जेईई	किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जेईई के मामले में बी.टेक/बीई पाठ्यक्रम में मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होना/अंतिम चयन	20%
4.	जीएटीई	किसी भी सरकारी कॉलेज में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए आवश्यक कटऑफ के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करना और/या परीक्षा के माध्यम से केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी सार्वजनिक उपक्रम में रोजगार प्राप्त करना।	10 %
5.	एनईईटी	किसी भी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस/बीडीएस/बी.फार्मा पाठ्यक्रम में प्रवेश जिसमें कम से कम आधे छात्र उस अंतिम कट ऑफ अंक को पार कर गए हों जिस पर उस वर्ष किसी भी सरकारी कॉलेज में अनुसूचित जाति छात्रों का चयन किया गया था।	14%
6.	सीएटी/सीएलएटी	पीजीडीएम/एमबीए/एलएलबी	20%. कम से कम 2% सरकारी

		के लिए किसी भी सरकारी कॉलेज से जीडी और साक्षात्कार के लिए कॉल प्राप्त करना	कॉलेज में होने चाहिए।
7.	सीएसीपीटी	सीए पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करना	प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों में से कम से कम 30% को पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए।
8.	जीआरई/जीएमएटी/एसएटी/ टीओईएफएल	परीक्षा के लिए कुल अधिकतम अंकों में से कम से कम 65% अंक प्राप्त करना	10%
9.	एनडीए/सीडीएस/सीपीएल	इन पाठ्यक्रमों के लिए साक्षात्कार हेतु बुलावा आना	10%

*****